न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 45 / 2019 (अपील)

GCMS No. 2019/140

1. शिव शंकर आत्मज स्व0 श्री चौथमल जाति ब्रह्मण निवासी बोरपाडा राज मन्दिर के पास ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति कंचन बाई पत्नि स्व0 श्री चौथमल जाति ब्राह्मण निवासी राज मन्दिर के पास ग्राम खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थन हाल निवासी जर्ये सत्यनारायण जी पुत्र श्री गणपतलाल जी शर्मा निवासी धाकडखेडी जिला कोटा थाना उद्योग नगर कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अपील अन्तर्गत धारा 16 अपील आदेश विरूद्व दिनांक 9.4.2019 अधीनस्थ न्यायालय एस.डी. एम. कोटा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व

उपस्थित:–

1. **श्री हिमांशु उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री कैलाश चन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलांट**
3. **श्री रमेश कुशवाह, अभिभाषक रेस्पो0**

दिनांक:– 07 / 09 / 2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट कोटा, ने रेस्पोडेन्ट कंचन बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5, 23, 24, 25 दी मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेन्टस एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत सुनवाई कर दिनांक 09.04.2019 को आदेश पारित किया कि–'' प्रार्थीया द्वारा भरण पोषण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है साथ ही अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 3 श्री शिव शंकर, श्री सुरेश, श्री बद्रीप्रकाश को निर्देशित किया जाता है कि तीनों पुत्र समान रूप से अपनी माताजी श्रीमति कंचनबाई को एक एक हजार रूपये मासिक खर्च के तौर पर प्रदान करने हेतु बैंक खाता संख्या 57360100003971 बैंक ऑफ बडौदा ब्रांच ग्राम जालखेडा में जमा करेंगे जिससे श्रीमति कंचनबाई पत्नि स्व0 चौथमल अपने पुत्रों से कुल तीन हजार रूपये प्राप्त करेंगी ।''

2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 20.05.2019 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट व उसके दौनों भाई सुरेश, व बद्रीप्रकाश शर्मा तथा रेस्पोडेन्ट श्रीमति कंचनबाई के मध्य दिनांक 27.6.2015 से पूर्व भी विवाद हो जाने से थाना कैथून में लिखित राजीनामा किया गया था, जिसकी समस्त जानकारी रेस्पोडेन्ट को थाना कैथून पुलिस द्वारा सुनाई व समझाई गयी थी । जिसको सुन समझकर एवं सही मानकर रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति प्रदान की थी उसके पश्चात ही अपीलान्ट व दौनों भाईयों के मध्य थाना कैथून पुलिस के समक्ष राजीनामा लिखित हुआ था जिस पर अपीलान्ट एवं उसके भाईयों तथा स्वतंत्र गवाहों के भी हस्ताक्षर

जिला कलेक्टर
कोटा

है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया है कि थाना कैथून में राजीनामें की शर्तानुसार रेस्पोडेन्ट को तीसरे पुत्र बद्रीप्रकाश शर्मा के साथ ही रहना था और रेस्पोडेन्ट लगभग 8 माह तक बद्रीप्रकाश शर्मा के साथ रही है जबकि राजीनामें की शर्तानुसार बद्रीप्रकाश शर्मा का ही यह दायित्व तनता है कि वह श्रीमति कंचन बाई की सेवा व सार सम्भाल तथा भरण पोषण का ध्यान रखें । अपीलान्ट व पारिवारिक समझाईश अन्तर्गत अपीलान्ट के तीसरे भाई श्री बद्रीप्रकाश शर्मा जो कि कोटा में निवास करते है वह मकान भी अपीलान्ट व भाईयों की आपसी सहमति से बना है और इसी वजह से थाना पुलिस कैथून में हुये राजीनामें के अनुसार श्री बद्रीप्रकाश शर्मा को कोटा स्थित मकान दिया गया और गांव खेड़ा रसूलपुर कोटा में स्थित मकान में श्री बद्रीप्रकाश शर्मा का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है । इस राजीनामे अनुसार श्री बद्रीप्रकाश को दिये गये मकान के साथ ही रेस्पोडेन्ट श्रीमति कंचन बाई की सेवा की जिम्मेदारी श्री बद्रीप्रकाश शर्मा को ही वहन करनी थी । अपीलान्ट का पालन पोषण बचपन से ही उसके दादी कंचन बाई पत्नि श्री प्रभूलाल जी के द्वारा किया गया है, अपीलान्ट की मां कंचन बाई पत्नि श्री चौथमल जी (रेस्पोडेन्ट) ने कभी भी अपीलान्ट के प्रति उसके मां होने के कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन नहीं किया है । जांच अधिकारी ने उक्त प्रकरण की जांच सही प्रकार से नहीं की है जांच अधिकारी ने ग्राम खेडा रसूलपुर में जाकर इस प्रकरण बाबत कोई भी जांच नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश दिनांक 9.4.2019 को अपास्त किया जाकर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया । रेस्पो. की ओर से श्री रमेश कुशवाह एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 के अधिवक्ता उपस्थित, विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट व उसके दौनों भाई सुरेश, व बद्रीप्रकाश शर्मा तथा रेस्पोडेन्ट श्रीमति कंचनबाई के मध्य दिनांक 27.6.2015 से पूर्व भी विवाद हो जाने से थाना कैथून में लिखित राजीनामा किया गया था, जबकि राजीनामें की शर्तानुसार बद्रीप्रकाश शर्मा का ही यह दायित्व बनता है कि वह श्रीमति कंचन बाई की सेवा व सार सम्भाल तथा भरण पोषण का ध्यान रखें । अपीलान्ट व पारिवारिक समझाईश अन्तर्गत अपीलान्ट के तीसरे भाई श्री बद्रीप्रकाश शर्मा जो कि कोटा में निवास करते है वह मकान भी अपीलान्ट व भाईयों की आपसी सहमति से बना है और इसी वजह से थाना पुलिस कैथून में हुये राजीनामें के अनुसार श्री बद्रीप्रकाश शर्मा को कोटा स्थित मकान दिया गया और गांव खेड़ा रसूलपुर कोटा में स्थित मकान में श्री बद्रीप्रकाश शर्मा का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं हैं । अपीलान्ट तो बचपन से ही अपनी दादी कंचन बाई पत्नि श्री प्रभूलाल जी के पास रहा है, लालन पालन भी उनके द्वारा ही किया गया है । पारिवारिक समझौते के तहत रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण का जिम्मा केवल बद्रीप्रकाश का ही है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक को 1000/– प्रतिमाह रेस्पोडेन्ट को जर्ये बैंक खाते के अदा करने के आदेश किये है । अधीनस्थन्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने के आदेश प्रदान करें ।

5. वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट शिव शंकर, सुरेश, एवं बद्रीप्रकाश शर्मा तीनों की जायन्दा मॉ है, जिसके भरण पोषण का जिम्मा तीनों भाईयों का है, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक पुत्र को 1000/– प्रतिमाह रेस्पोडेन्ट को जर्ये बैंक खाते के अदा करने के आदेश किये है न्यायसंगत निर्णय पारित किया है । इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अपीलान्ट भी रेस्पो0 का पुत्र है

जिला कलेक्टर
कोटा

है इस हेतु अपनी मां का भरण पोषण का दायित्व अपीलान्ट का भी है । तथा अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है । माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार केवल माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को ही है । ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया, पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के आदेश दिनांक 09.04.2019 के विरूद्व दिनांक 20.05.2019 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद पेश है।

7. यह अपील अन्तर्गत धारा 16 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की गई है, अप्रार्थीया रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2018 को वास्ते भरण पोषण में पारित आदेश अनुसार प्रार्थीया रेस्पो0 के बतौर भरण पोषण हेतु तीनों पुत्रों को प्रत्येक को 1000/– प्रतिमाह भुगतान के आदेश दिये है तथा प्रार्थीया वर्तमान में निवासरत मकान बोरपाडा राज मन्दिर के पास खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा में रहने दिया जाने बाबत आदेश पारित किया था । अपीलान्ट का कथन है कि "पारिवारिक समझौते अनुसार उनकी मां के भरण पोषण का सम्पूर्ण दायित्व केवल एक पुत्र बद्रीप्रसाद का ही है जो कोटा में निवास करता है । तथा उनका लालन पालन उनकी दादी कंचनबाई पत्नि प्रभूलाल जी के द्वारा किया जाने से तथा उनकी मां ने अपीलान्ट के प्रति उसके मां होने का कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन नहीं किया है ।" हम अपीलान्ट के कथनों से सहमत नहीं है कि उनकी मां के द्वारा मां होने का कर्तव्य एवं दायित्वों का पालन नहीं किया है, हम यह मान भी ले तब भी अपीलान्ट अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता है । माता पिता के भरण पोषण का दायित्व प्रत्येक पुत्र का होता है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील ठोस आधारों के साथ प्रस्तुत नहीं होने एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकार केवल माता पिता एवं वरिष्ठजनों को ही होने से स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

8. परिणामतः अपील अपीलांट आधारहीन होने से एवं माता पिता का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा का आदेश दिनांक 09.04.2019 यथावत रखा जाता है । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी आदेश दिये जाते है कि अपने आदेश दिनांक 9.4.2019 की पूर्ण पालना कराई जाकर तीनों पुत्रों से भरण पोषण की राशि रेस्पोडेन्ट कंचनबाई को दिलाई जावें ।

9. निर्णय आज दिनांक **07.09.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा